कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी–1

पत्रांक 1754 (अनु०) दिनांक 05/07/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी–1

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार पटना।

विषयः शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुरक्षण मद में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में शीर्ष राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुरक्षण मद में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार **14,76,116.00** (चौदह लाख छेहत्तर हजार एक सौ सोलह) रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि किये गये कार्यो का भुगतान किया जा सके।

अनुलग्नकः–यथोक्त

विश्वासभाजन

5/7/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी–1

5/7/2025

Scanned with CamScanner

राज्य योजना (नाबार्ड) अंतर्गत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र० सं०</th><th rowspan="2">कार्य प्रमंडल का नाम</th><th rowspan="2">योजना का नाम</th><th colspan="5">एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार</th><th rowspan="2">कुल राशि (लाख में)</th><th colspan="5">व्यय की राशि वर्षवार</th><th rowspan="2">कुल राशि (लाख में)</th><th rowspan="2">प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक सहित पत्रांक) (लाख में)</th><th rowspan="2">पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)</th><th rowspan="2">अनुरक्षण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक / दिनांक</th><th rowspan="2">मूल निर्माण कार्य करने पूर्ण करने की वास्तविक तिथि</th><th colspan="5">वर्त्तमान अधियाचित राशि</th><th rowspan="2">कुल राशि (लाख में)</th><th rowspan="2">कुल अधियाचित राशि (लाख में)</th></tr>
<tr><th>प्रथम वर्ष राशि (लाख में)</th><th>द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)</th><th>तृतीय वर्ष राशि (लाख में)</th><th>चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)</th><th>पंचम वर्ष राशि (लाख में)</th><th>प्रथम वर्ष राशि (लाख में)</th><th>द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)</th><th>तृतीय वर्ष राशि (लाख में)</th><th>चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)</th><th>पंचम वर्ष राशि (लाख में)</th><th>प्रथम वर्ष राशि (लाख में)</th><th>द्वितीय वर्ष राशि (लाख में)</th><th>तृतीय वर्ष राशि (लाख में)</th><th>चतुर्थ वर्ष राशि (लाख में)</th><th>पंचम वर्ष राशि (लाख में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Muzaffarpur East-1</td><td>Chakhasan Forlane to Purana Darbhanga Road Malang Sthan Hote Huye Fatehpur Bakhri Hote Huye Purana Bakhri Road</td><td>1.94258</td><td>2.54585</td><td>10.11742</td><td>4.67864</td><td>11.73661</td><td>31.02110</td><td>0.00000</td><td>0.00000</td><td>0.00000</td><td>0.00000</td><td>0.00000</td><td>0.00000</td><td>Lt.No. 3142 Dt.22.07.2019 273.60 Lakh</td><td>269.14539 Lakh</td><td>Lt.No. 3142 Dt.22.07.2019</td><td>30-04-2021</td><td></td><td></td><td>10.10393</td><td>4.65723</td><td></td><td>14.76116</td><td>14.76116</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14.76116</td></tr>
</table>

1 कार्य विशिष्टियों के अनुरुप पूर्ण कर लिया गया है।
2 पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
3 अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण विपत्र के मदों का विस्तार का विचलन भी 20% से ज्यादा नहीं है।
4 अनुलग्नक – प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
मुजफ्फरपुर पूर्वी–1

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–229/2019 3142 /पटना, दिनांक–22/7/19

प्रेषक,

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषयः योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के क्षेत्राधीन मुशहरी प्रखंड के चकहसन फोरलेन से पुराना दरभंगा रोड मलंग स्थान होते हुए फतेहपुर बखरी होते हुए पुराना बखरी रोड तक पथ निर्माण हेतु रू0 238.98 लाख अनुरक्षण की राशि रू0 34.62 लाख अर्थात कुल 273.60 लाख रूपये (दो करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रू0)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–उप शीर्ष–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के **मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 के क्षेत्राधीन मुशहरी प्रखंड के चकहसन फोरलेन से पुराना दरभंगा रोड मलंग स्थान होते हुए फतेहपुर बखरी होते हुए पुराना बखरी रोड तक पथ निर्माण हेतु रू0 238.98 लाख अनुरक्षण की राशि रू0 34.62 लाख अर्थात कुल 273.60 लाख रूपये (दो करोड़ तिहत्तर लाख साठ हजार रू0)** मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–2021 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37–4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमो पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में **459.31** करोड रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियंता–3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1 यह सुनिश्चत करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नही है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–नाबार्ड–03–148/2014 पार्ट–1 के पृ0सं0 02/टि0 पर दिनांक 31.01.2019 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0– मु0 अ0–4 (मु0) रा0यो0–03–229/2019 के पृ0 सं0–03/टि0 पर दिनांक–22.06.2019 को प्राप्त है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

G.K

538

11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स0 मु0 अ0–4 (मु0) रा0यो0–03–229/2019 के पृष्ठ संख्या–07/टि0 पर दिनांक–18.07.2019 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नही।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारीयों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्चयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगें।
17. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।

विश्वासभाजन

(मो0 सोहैल)
अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–229/2019 3142 /पटना,दिनांक– 22/7/19

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक मु0 अ0–4 (मु0)–रा0यो0–03–229/2019 3142 /पटना, दिनांक– 22/7/19

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर, BRRDA,/मुख्य अभियता–3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0–4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–1/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम0 आई0 एस0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम0 आई0 एस0 में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

G.K

3